# ग्राम पंचायत छेक, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01.04.13 से 31.03.16

**1 (क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत छेक, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-**

**प्रधान:-**

| क्र० सं० | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमति वीना कुमारी | 01.04.13 से 22.01.16 |
| 2 | श्रीमति रजनी देवी | 23.01.16 से लगातार |

**सचिव:-**

| क्र० सं० | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री जगदीश चंद | 01.04.13 से 25.03.14 |
| 2 | श्री अवतार सिंह | 25.03.14 से 31.03.16 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत छेक के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

| क्र०सं० | पैरा सं० | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा-4.2 | रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर | 1.39 |
| 2 | पैरा-4.3 | रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना | - |
| 3 | पैरा-4.5 | नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते न लगाना | - |
| 4 | पैरा-5 | पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष | 0.87 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | पैरा-6 | अनुदान का उपयोग न करना | 11.42 |
| 6 | पैरा-8 | औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना | 4.36 |
| 7 | पैरा-9 | क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना | |
| 8 | पैरा-10 | बजट प्राक्कलन तैयार न करना | |
| 9 | पैरा-11 | व्ययों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना | 1.51 |
| 10 | पैरा-12 | राशि पंचायत के खाते में जमा न करना | 0.19 |

**2 वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत छेक, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 30.03.17 से 06.04.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

| वित्तीय वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2013-14 | 01/2014 | 02/2014 |
| 2014-15 | 03/2015 | 12/2014 |
| 2015-16 | - | 06/2015 |

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

**3 अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत छेक, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6800 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹6800 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 327 दिनांक 05.04.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को ड्राफ्ट संख्या 45613 (HGB) दिनांक 19.04.17 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

**4 वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत छेक, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्वः स्त्रोत:-** ग्राम पंचायत छेक, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 165885 | 10561 | 176446 | 5391 | 171055 |
| 2014-15 | 171055 | 8027 | 179082 | 20045 | 159037 |
| 2015-16 | 159037 | 0 | 159037 | 141066 | 17971 |

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत छेक, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 982281 | 4541734 | 5524015 | 4576252 | 947763 |
| 2014-15 | 947763 | 2327267 | 3275030 | 2439937 | 835093 |
| 2015-16 | 835093 | 2389289 | 3224382 | 2082246 | 1142136 |

**4.1 बैंक समाधान विवरणी :-**

**स्व स्त्रौत :-**

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹17971

**अनुदान:-**

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹1142136

कुल ₹1160107

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹1020047

हस्तगत राशि : ₹795

अन्तर की राशि : ₹139265

| बैंक खाता संख्या | राशि |
|---|---|
| MNREGA, HGB– 41904 | 0 |
| MNREGA, PNB– 20246 | 0 |
| General, Own Source, HGB – 7819 | 2063 |
| General, Own Source, KCCB – 23582 | 5361 |
| IAY HGB – 43202 | 16090 |
| VMJS –HGB-93819 | 1657 |
| 13th FC HGB – 43177 | 0 |
| 3rd SFC HGB – 43111 | 527291 |
| WDF PNB – 79439 | 81227 |
| IWDP HGB – 87304 | 385315 |
| TSC HGB – 93776 | 1043 |
| **कुल राशि** | **1020047** |

**4.2 रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹1.39 लाख के अन्तर बारे :-**

जांच में पाया कि पंचायत में General Grant, Own Source Income, 3rd SFC,TSC, एवं 13th FC में प्राप्त आय व अनुदान को उक्त विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था लेकिन समय-2 पर नियमानुसार रोकड़ वही का मिलान बैंक शेष से नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.16 को ₹139265 का अन्तर पाया गया जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 326 दिनांक 05.04.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः उक्त अन्तर की राशि ₹139265 बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

**4.3 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-**

ग्राम पंचायत छेक की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अपेक्षित था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

**4.4** जांच में पाया कि सामान्य रोकड़ वही व वॉटर शेड की रोकड़ वही अवधि 04/2013 से 03/2016 में दर्ज प्रविष्टियों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं अब सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

**4.5 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना:-**

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया था। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते खोलकर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त आय को खाता-क व अनुदानों को खाता ख में वर्गीकृत करना सुनिश्चित करें ।

**5 पंचायत राजस्व ₹0.72 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-**

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर की मांग अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक नहीं की गई थी जो कि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में भी हानि हुई तथा पंचायत के विकास कार्य भी अवरुद्ध रहे। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने एवं गृहकर का रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹0.87 लाख की वसूली शेष थी ।

1. **गृहकर :**

| **वर्ष** | **अथशेष** | **मांग की जानी अपेक्षित** | **योग** | **प्राप्ति** | **वसूली हेतु शेष राशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 3050 | 28360 | 31410 | 1100 | 30310 |
| 2014-15 | 30310 | 29110 | 59420 | 1690 | 57730 |
| 2015-16 | 57730 | 29710 | 87440 | 15485 | 71955 |

**5.1 दुर्विनियोजन:-**

जांच में पाया कि वर्ष 2015-16 में गृह कर के रूप में निम्नलिखित रसीदों से ₹15485 वसूली की गई थी लेकिन पंचायत के खाते में जमा नहीं किए गए थे । अतः अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 326(a) दिनांक 05.04.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः गृहकर के दुर्विनियोजन का मामला उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

| **रसीद संख्या** | **अवधि** | **राशि** |
|---|---|---|
| 201901 से 202000 | 27.08.15 से 12.10.15 | 4140.00 |
| 0676701 से 0676781 | 27.10.15 से 26.12.15 | 3260.00 |
| 0676901 से 0677000 एवं 201801 से 201900 | 12.10.15 से 17.10.15, 27.08.15 | 8085.00 |

**6 अनुदान ₹11.42 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹1142136 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित

अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 **निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था । निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका । अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये ।

8 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.36 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹436262 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9 **क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । अंकेक्षण अवधि के चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न

करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना व उपयोग लेखा तैयार कर आगामी लेखा परीक्षण में जांच करवाया जाना सुनिचित किया जाये।

**10 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था । अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

**11 व्यय ₹1.51 लाख से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:-**

जांच में पाया कि निम्नलिखित भुगतान विभिन्न तिथियों को पंचायत निधि से किये गये थे लेकिन इन भुगतानों से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी । अभिलेख उपलब्ध न करवाना पचायती राज वित नियम 2002 के नियम 47(1)(2) की भी स्पष्ट अवहेलना है । अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹150808 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि मे जमा करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ । भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है:-

| क्र.सं | निधि का नाम | चैक संख्या/दिनांक | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | General Cash Book | Withdrawl vide Cheque No. 240972 Dated 23.06.14 | 45540.00 |
| 2. | -do- | Withdrawl vide Cheque No. 440473 Dated 07.10.14 ( खाता संख्या 23582) | 8750.00 |
| 3. | -do- | Withdrawl from account No. 43111 Dated 30.01.16 | 9114.00 |
| 4. | -do- | Withdrawl from account No. 43111 Dated 30.03.16 | 24100.00 |
| 5. | -do- | Voucher No. 33 Dated 23.06.14 | 22150.00 |
| 6. | -do- | Voucher No. 54 Dated 24.11.15 | 2200.00 |
| 7. | -do- | Voucher No. - Dated 24.11.15 | 4800.00 |
| 8. | -do- | Voucher No. - Dated 24.11.15 | 5388.00 |
| 9. | Water Shed | Withdrawl vide Cheque No. 723898 Dated | 18555.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 13.06.15 (खाता संख्या 87304) | |
| 10. | -do- | Withdrawl vide Cheque No. 723899 Dated 13.06.15 (खाता संख्या 87304) | 7021.00 |
| 11. | -do- | Withdrawl vide Cheque No. 723900 Dated 15.09.15 (खाता संख्या 87304) | 3190.00 |
| | | **कुल राशि** | **150808.00** |

**12 ₹0.19 लाख को पंचायत के खाते में जमा न करना:-**

**(1)** जांच में पाया कि चैक संख्या 240972 दिनांक 23.06.14 द्वारा ₹45540 (General Cash book) आहरित की गई थी एवं वाउचर संख्या 32 दिनांक 23.06.14 तथा वाउचर संख्या 33 दिनांक 23.06.14 द्वारा क्रमशः ₹17040 एवं ₹22150 रोकड़ वही के पृष्ठ 93 में व्यय के रूप में दर्शाई गई थी, लेकिन शेष राशि ₹6350 (45540-39190) को पंचायत के खाते में जमा नहीं किए गए थे। अतः इस राशि को शीघ्र पंचायत के खाते में दण्ड ब्याज सहित जमा करना सुनिश्चित करें ।

**(2)** जांच में पाया कि निम्नलिखित चैकों द्वारा ₹152632 (General Cash book) खाता संख्या 23582 (HGB) आहरित की गई थी एवं ₹139932 रोकड़ वही में व्यय के रूप में दर्शाई गई थी, लेकिन शेष ₹12700 (152632-139932) को पंचायत के खाते में जमा नहीं किए गए थे । अतः इस राशि को शीघ्र पंचायत के खाते में दण्ड ब्याज सहित जमा करना सुनिश्चित करें ।

| **आहरित राशि** | | **व्यय राशि** | |
|---|---|---|---|
| **चैक संख्या** | **राशि** | **वाउचर संख्या** | **राशि** |
| 348072/22.09.15 | 1440 | 48/24.11.15 | 720 |
| 348073/17.09.15 | 65404 | 50/24.11.15 | 720 |
| 348074/17.09.15 | 6700 | 51/24.11.15 | 65404 |
| 348076/28.09.15 | 12000 | 53/24.11.15 | 8000 |
| 348077/21.09.15 | 2200 | 52/24.11.15 | 4000 |
| 348078/30.09.15 | 18888 | 54/24.11.15 | 2200 |
| 348079/28.09.15 | 40000 | Bill No. 110 Dated 03.09.15, M/s Ravinder Kumar | 8000 |
| 348080/30.09.15 | 6000 | Bill No. 540 Dated -, M/s Himalyan Spray Painter | 4000 |
| | | Bill No. 111 Dated -, M/s Ravinder Kumar | 24000 |
| | | Bill No. 541 Dated -, M/s Himalyan Spray Painter | 4000 |
| | | मानदेय, -/24.11.15 | 2100 |
| | | मानदेय, -/24.11.15 | 1800 |
| | | मानदेय, -/24.11.15 | 2800 |
| | | वेतन चोकीदार, -/24.11.15 | 2000 |
| | | कार्यालय व्यय - | 4800 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | /24.11.15<br>कार्यालय व्यय -<br>/24.11.15 | 5388 |
| **कुल आहरित राशि** | **152632** | **कुल व्यय** | **139932** |

**13 (1) 121 बैग सीमेंट का सम्भावित दुरुपयोग :-**

**(i)** मनरेगा के भण्डार रजिस्टर की जांच में पाया कि भण्डार रजिस्टर में दिनांक 06.08.14 को 30 बैग सीमेंट के दर्ज थे जिन्हे आगे अग्रेनित नहीं किया गया था एवं न ही इनका प्रयोग किसी कार्य में किया गया था । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वर्णित 30 सीमेंट बैग का दुरुपयोग किया गया था । अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें ।

**(ii)** सामान्य रोकड़ वही के भण्डार रजिस्टर की जांच में पाया कि भण्डार रजिस्टर में दिनांक 21.07.14 को 84 बैग सीमेंट के दर्ज थे जिन्हे आगे अग्रेनित नहीं किया गया था एवं न ही इनका प्रयोग किसी कार्य में किया गया था । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वर्णित 84 सीमेंट बैग का दुरुपयोग किया गया था । अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें ।

**(iii)** माप पुस्तिका 3407 के पृष्ठ 52 पर निर्माण कार्य " C/o Crate/ protection wall in the land of Veena Kumari & Joginder Singh, W-7" की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच में पाया कि उक्त कार्य में कुल 68 बैग सीमेंट का उपभोग किया गया था लेकिन भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 77 से 83 तक दिनांक 27.09.2013 को उक्त कार्य के लिए कुल 75 बैग सीमेंट के जारी किए गए थे। अर्थात उक्त कार्य के लिए 7 बैग सीमेंट अधिक जारी किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

**(2) सीमेंट बैग की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करने से संभावित दुरुपयोग :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में नियमों के अनुसार सीमेंट बैग के क्रय की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी एवं न ही यह दर्शाया गया था कि क्रय किए गए सीमेंट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया गया था, जिससे सीमेंट के दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः नियमों के अनुसार सीमेंट के क्रय के इन्द्राज एवं निर्गमन की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये यह भी स्पष्ट करें कि निम्नलिखित क्रय की गई सीमेंट बैग की मात्रा का प्रयोग किस कार्य में कितना किया गया था :

| **क्र.** | **वाउचर संख्या**<br>**र**<br>**.** | **क्रय सीमेंट का विवरण** | **सीमेंट की मात्रा** |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 दिनांक 01.10.14 | Bill No. 92370 Dated 27.11.14 M/s HPS Civil Supply | 200 बैग सीमेंट |
| 2 | 45 दिनांक 14.10.15 | Bill No. 0181712 Dated - M/s HPS Civil Supply | 135 बैग सीमेंट |

**14 बिलों को बिना सत्यापित किए एवं प्रस्ताव पास किए बिना भुगतान करने बारे :-**

जांच में पाया कि पंचायत में निम्नलिखित व्यय करने से पूर्व पंचायत में प्रस्ताव पास नहीं किया गया था एवं न ही बिलों को सचिव एवं प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया था जिससे इन व्ययों की सत्यता का पता नहीं चल सका। अतः आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना किए गए भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें। भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :-

| क्र०सं | वाउचर संख्या | बिल का विवरण | सामग्री का विवरण | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 दिनांक -12/2014 | Paid to Secretary | Dongal recharge | 444.00 |
| 2 | 71 दिनांक -12/2014 | Paid to GRS | Dongal recharge | 299.00 |
| 3 | 73 दिनांक -12/2014 | माह अप्रैल से 12.12.2014 तक | जल पान पर व्यय | 1000.00 |
| 4 | -/24.11.15 | Bill No. 110 Dated 03.09.15, M/s Ravinder Kumar | निर्माण सामग्री | 8000.00 |
| 5 | -/24.11.15 | Bill No. 111 Dated -, M/s Ravinder Kumar | निर्माण सामग्री | 24000.00 |

**15 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना ।
2. अनुदान रजिस्टर
3. भण्डार रजिस्टर
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
5. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना ।
6. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।
7. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।

**16 प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की

जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

17 **लघु आपति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

18 **निष्कर्ष:-**लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/-
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्याः-फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)110/2017-खण्ड-1-5921-5924, दिनाँक-29.09.2017 शिमला-09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

**पंजीकृत**
1 सचिव, ग्राम पंचायत छेक, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/-
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620881